Lojkt laLFkku lapkyuky;

e/;izns'k 'kklu] laLd`fr foHkkx

lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e 2005

gLr iqfLrdk

Lojkt laLFkku lapkyuky;
johUnz Hkou ifjlj] Hkksiky&462002
Qksu @QSDl % 0755& 2660563@ 2660407
bZ esy- directorswaraj @ sancharnet.in

iLrkouk

भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति दिनांक 15 जून, 2005 के अनुक्रम में भारत का राजपत्र असाधारण भाग–2, पार्ट–2, अनुभाग–1 नयीदिल्ली,, मंगलवार, जून 21, 2005 में प्रकाषित किया गया है। जिसके अंतर्गत प्रत्येक लोकप्राधिकारी के क्रियाकलाप में पारदर्षिता और जवाबदेही उन्नत करने के लिए लोकप्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन नागरिकों को सूचना तक पहुँच सुनिष्चित करने के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग का गठन तथा सूचना के अधिकार की व्यवहारिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए तथा उससे सम्बद्ध विषयों या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम; प्रवर्त किया गया है।

इसी अनुक्रम में मध्यप्रदेष षासन, सामान्य प्रषासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 11–11/05/1/9 दिनांक 20/6/2005 द्वारा जारी निर्देषों के अनुक्रम में मध्यप्रदेष षासन संस्कृति विभाग अंतर्गत स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा उक्त मेनुअल (हस्त पुस्तिका) तैयार की गयी है।

स्वराज संस्थान संचालनालय के कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए यह हस्त पुस्तिका तैयार की गयी है। इस पुस्तिका में समायोजित विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारियों के लिए स्वराज संस्थान संचालनालय के संचालक तथा सहायक संचालक से संपर्क किया जा सकता है । हस्त पुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि से सम्बन्धित विवरणों का समावेष भी पुस्तिका में किया गया है।

v/;k;&2 ¼euvy&1½

Lojkt laLFkku lapkyuky; dh fof'kf"V;k] dR; ,oa dr0;

iaeq[k dk;@mnns';@xfrfof/k;k

1. स्वाधीनता संघर्ष से लेकर स्वराज तक की बहुविध प्रश्नों पर केन्द्रित उच्च स्तरीय गतिविधियों का केन्द्र
2. स्वाधीनता संघर्ष के स्मृति चिन्हों को एकत्रित कर प्रदर्शित करना
3. भारत और दुनिया भर में हुए स्वाधीनता संघर्ष पर केन्द्रित फिल्मों, समाचार–पत्रों, पुस्तक, चित्रों और अन्य माध्यमों की रचनाओं का संग्रह, निर्माण एवं प्रदर्शन
4. व्याख्यान, गोष्ठियों, अध्ययन, शोध आदि कार्यक्रमों का आयोजन
5. दुर्लभ, प्रामाणिक, ऐतिहासिक एवं अन्य विविध ग्रंथों का संग्रह एवं प्रकाशन
6. विभागीय वेबसाइट का प्रवर्तन संचालन
7. डॉ.शंकरदयाल शर्मा स्वतंत्रता संग्राम राज्य संग्रहालय
8. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों / शहीदों को समर्पित शताब्दी / जयन्ती आयोजन एवं उसके लिए स्वेच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

1-1 lapkyuky; dk fe'ku@fotu

स्वाधीनता से लेकर स्वराज तक के बहुविध प्रश्नों पर केन्द्रित उच्च स्तरीय गतिविधियों के केन्द्र के रूप में स्थापित स्वराज संस्थान संचालनालय अपने उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में सक्रिय है।

मई, 1998 को अपनी स्थापना से लेकर अब तक स्वराज संस्थान द्वारा लोकप्रिय प्रदर्शनी सरफरोशाने वतन, कोई 7000 कि.मी. की शहीद स्मृति यात्रा, स्वाधीनता संग्राम में मध्यप्रदेश के योगदान पर केन्द्रित अनेक फिल्मों, मध्यप्रदेश का विविध जिलों में आजादी की लड़ाई में योगदान को लेकर डाक्यूमेंटेशन, आज़ादी के यादगार तरानों के संकलन को संगीतबद्ध कराया गया तथा अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया गया।

1-2 lapkyuky; dk lf{kIr bfrgkl vkj blda xBu dk izlx

स्वतंत्रता की 40 वीं वर्षगांठ के अवसर पर मध्यप्रदेष षासन द्वारा स्वतंत्रता स्मारक भवन स्थापित कर स्वतंत्रता संग्राम से सम्बन्धित वस्तुओं का संग्रह, स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित फोटो प्रदर्षनी, पुस्तकों एवं दस्तावेजों का एक पुस्तकालय और अन्य वीथिकाएँ मुख्यतः रखे जाने का निर्णय किया गया

था। तद्नुसार संस्कृति विभाग द्वारा रवीन्द्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज भवन स्थापित किया गया है।

स्थापित इस भवन का षिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह द्वारा 15 अगस्त, 1988 को किया गया तथा निर्माण कार्य दिसम्बर 1989 में हुआ। भवन की वास्तु कल्पना पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) द्वारा तथा निर्माण राजधानी परियोजना प्रषासन द्वारा किया गया है।

महामहिम पूर्व राष्ट्रपति षंकरदयाल षर्मा द्वारा उक्त संग्रहालय एवं वाचनालय के लिए अपने संग्रह की बहुमूल्यवान वस्तुएँ तथा पुस्तकें कृपापूर्वक प्रदान की गईं तथा उनकी गौरवमयी उपस्थिति में इसका लोकार्पण मध्यप्रदेष के महामहिम राज्यपाल मोहम्मद षफी कुरैषी द्वारा 13 जुलाई, 1997 को किया गया।

इसी अनुक्रम में संस्कृति विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1384/सं/30/98 दिनांक 1 मई, 1998 द्वारा स्वराज संस्थान संचालनालय की स्थापना की गयी। संचालनालय का मुख्यालय भोपाल स्थित है तथा वर्तमान में इसके जिला स्तरीय अन्य कोई कार्यालय नहीं है। कार्यालयीन दिवसों में कार्यालय समय सुबह 10.30 से सांय 5.30 निर्धारित है।

lajpukRed <kpk

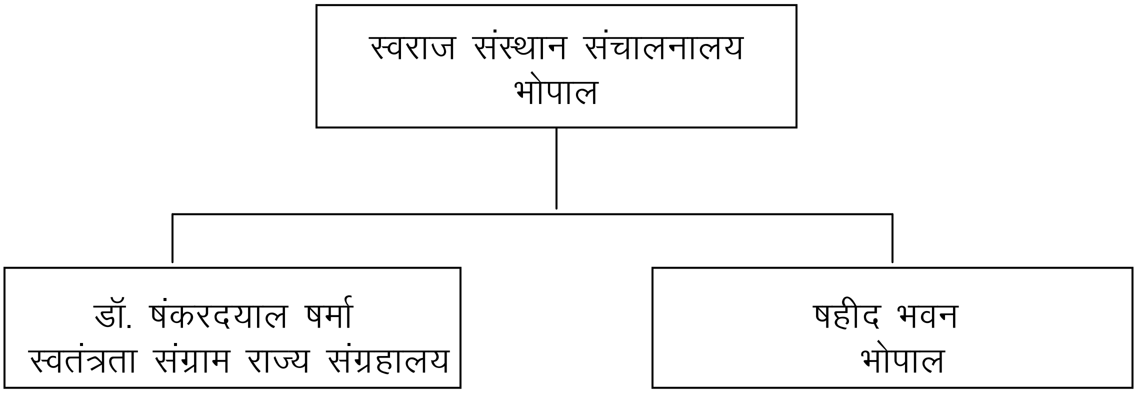

v/;k; & 3 ¼eSuqvy & 2½

vf/kdkfj;ksa vkSj deZpkfj;ksa dh ’kfDr;ka ,oa drZO;

1- lapkyd

संचालनालय के विभागाध्यक्ष एवं कार्यालय प्रमुख के रूप में समस्त नीति निर्णय, प्रषासनिक नियंत्रण, वार्षिक बजट, आहरण–संवितरण, वार्षिक योजना का निर्धारण, क्रियान्वयन एवं विकासात्मक गतिविधियों का संचालन। मध्यप्रदेष वित्त संहिता के अधीन वित्तीय षक्ति पुस्तिका 1995 अनुसार विभागाध्यक्ष को प्रदत्त समस्त वित्तीय षक्तियों के अनुसार कार्य किया जाता है।

2- lgk;d lapkyd

संचालनालय के समस्त प्रशासनिक, लेखा एवं स्थापना सम्बन्धी मामले। बजट, आडिट, विधानसभा प्रश्न, जन शिकायत निवारण, मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव मानिटरिंग, परामर्शदात्री समिति की बैठक, एकल नस्ती समीक्षा मानिटरिंग, न्यायालयीन प्रकरण, स्वराज भवन विस्तार इत्यादि विषयों में पत्राचार एवं प्रशासकीय विभाग से समन्वय, विभागीय आयोजन तथा संचालक द्वारा निर्देशित समस्त कार्य।

3- lgk;d xzFkiky

डॉ.शंकरदयाल शर्मा संग्रहालय एवं ग्रंथालय का संधारण एवं रख–रखाव, ग्रंथालय की कंप्यूटरीकृत कैटलॉगिंग, संचालनालय के प्रकाषनों का संधारण, शहीद स्मारक भवन का रख–रखाव एवं संधारण, फर्नीचर एवं उपकरणों का रख–रखाव एवं क्रय सम्बन्धी प्रस्ताव, सम्बन्धित देयकों का प्रस्तुतीकरण, सभागृह का आरक्षण, रखरखाव, कार्यक्रमों/ आयोजनों में सहयोग तथा संचालक द्वारा निर्देशित समस्त कार्य।

4- ys[kkiky

संचालनालय के लेखा सम्बन्धी समस्त कार्य, वार्षिक बजट, योजना मंडल प्रस्ताव, प्रषासकीय विभाग/वित्त विभाग से समन्वय, बजट एवं लेखा सम्बन्धी जानकारी का संकलन, लेखा सम्बन्धी कार्यालयीन स्वीकृतियाँ/ आदेष, नस्तियों का लेखा परीक्षण एवं भुगतान प्रस्ताव, अधिकारियों/ कर्मचारियों के आयकर तथा संचालनालय के आयकर सम्बन्धी कार्य। विभागीय आयोजन सम्बन्धी यथा निर्देषित कार्य।

5- dk;Øe lgk;d

विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों से सम्बन्धित प्रस्तावों/ नस्तियों का प्रस्तुतीकरण एवं पत्राचार, कार्यक्रमों/ आयोजनों सम्बन्धी कार्य एवं सम्बन्धित नस्तियों का संधारण, स्थापना सम्बन्धी कार्य, निजी नस्तियों का रख–रखाव, अर्जित, चिकित्सा एवं अन्य अवकाश का संधारण, कर्मचारियों को वर्दी प्रदाय, कार्यालयीन स्टेशनरी इत्यादि का क्रय एवं भंडारण, कंप्यूटर का संचालन एवं संधारण। संचालक द्वारा निर्देशित समस्त कार्य।

6- lgk;d xzM&3

कैषियर से सम्बन्धित समस्त कार्य, बैंक/ट्रेजरी सम्बन्धी कार्य, समस्त भुगतान देयक तैयार करना, बिल रजिस्टर/बीटीआर में प्रविष्ठि, कोषालय के आपत्ति का निराकरण वेतन पर्ची, जी.पी.एफ., डी.पी.एफ. पास बुक एवं समस्त अग्रिमों की पंजी का संधारण, लेखा पुस्तकें, केषबुक, कंटिनजेंसी रजिस्टर का संधारण, भुगतान प्रस्तावों का सम्बन्धित नस्ती में प्रस्तुतीकरण।

7- okgu pkyd

स्वराज संस्थान संचालनालय की वाहन का संधारण एवं रख–रखाव सम्बन्धी समस्त कार्य। संचालक द्वारा निर्देषित समस्त कार्य।

8- HkR; ¼rhu in½

स्वराज संस्थान संचालनालय से सम्बन्धित डाक का वितरण, नस्तियों आदि को विभाग में ले जाना, कोषालय से सम्बन्धित कार्य एवं देयकों का लगाना, टेलीफोन, पानी, बिजली आदि देयकों को जमा करना, संचालक महोदय एवं अन्य अधिकारियों–कर्मचारियों के कार्यालयीन कार्य निष्पादित करना, लायब्रेरी की पुस्तकों आदि को जमाना, कार्यालयीन रख–रखाव एवं अन्य कार्यालयीन कार्यों का संपादन।

7

अध्याय - 4 (मैनुअल - 3)

कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

संचालनालय की गतिविधियों से सम्बन्धित कार्य समय-सीमा में निपटाये जाने

वाले कार्यों के लिए मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 20-17/2000/सं/30 दिनांक 28 सितम्बर 2000 द्वारा मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों के बीच एकल नस्ती प्रणाली प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में कार्य निष्पादित किये जाते हैं।

कार्यालय में अपनायी जाने वाली निर्णय/प्रक्रिया

आवक

नस्ती में टीप प्रस्तुति

अभिमत

निर्णय

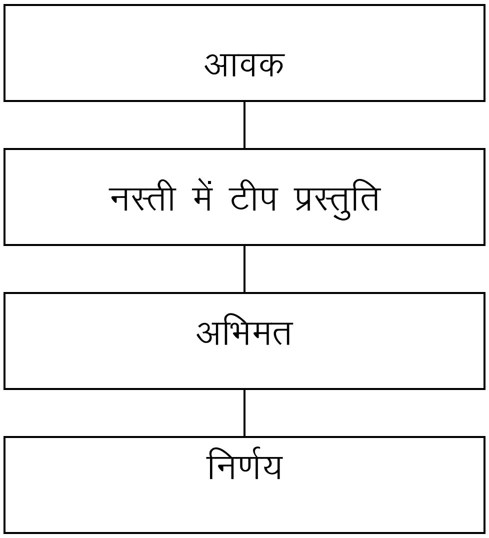

8

अभिलेख का नाम अभिलेख का प्रकार स्वराज भवन सभागार आरक्षण नियम
अभिलेख का संक्षिप्त परिचय
स्वराज संस्थान संचालनालय अंतर्गत स्वराज भवन सभागार उपयोग के लिए आरक्षण शुल्क का निर्धारण एवं प्रक्रिया का विवरण इन नियमों में उल्लिखित किया गया है। श्
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख
की प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ?
पताः स्वराज संस्थान संचालनालय
रवीन्द्रभवन परिसर,भोपाल-2
दूरभाषः 0755- 2660563
QSDl% 0755& 2660407
bZ&esy%directorswaraj@sancharnet.in
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख निःशुल्क की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)

अभिलेख का नाम अभिलेख का प्रकार वित्तीय सहायता अनुदान योजना नियम
अभिलेख का संक्षिप्त परिचय
स्वतंत्रता संग्राम-स्वराज पर केन्द्रित विभिन्न आयोजनों तथा महापुरुषों की शताब्दी / जयंती समारोह के आयोजन के लिए पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों/निकायों को वित्तीय सहायता/अनुदान योजना का विवरण। श् नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख
की प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ?
पताः स्वराज संस्थान संचालनालय
रवीन्द्र भवन परिसर,भोपाल-2
दूरभाषः 0755- 2660563
QSDl% 0755& 2660407

bZ&esy% directorswaraj@sancharnet.in
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख निःशुल्क की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)

9

अभिलेख का नाम अभिलेख का प्रकार स्वाधीनता फैलोशिप नियम
अभिलेख का संक्षिप्त परिचय
स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के विविध पक्षो ं, घटनाओं, व्यक्तियों और प्रवृत्तियों पर शोध कार्य के लिए रुपये एक-एक लाख की स्वाधीनता फेलोशिप इस योजनांतर्गत स्थापित की गयी है।
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख
की प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ?
पताः स्वराज संस्थान संचालनालय
रवीन्द्र भवन परिसर,भोपाल-2
दूरभाषः 0755- 2660563
QSDl% 0755& 2660407

bZ&esy% directorswaraj@sancharnet.in
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख निःशुल्क की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)

अभिलेख का नाम अभिलेख का प्रकार
अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद सम्मान नियम
अभिलेख का संक्षिप्त परिचय
स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों, राष्ट्रभfä और समाजसेवा की पावनता एवं गौरव को अलंकृत करने तथा इस क्षेत्र में समग्र रचनात्मक अवदान, सृजनात्मकता एवं विशिष्टि उपलब्धियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से यह सम्मान दिया जायेगा। नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख
की प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ?
पताः स्वराज संस्थान संचालनालय
रवीन्द्र भवन परिसर,भोपाल-2
दूरभाषः 0755- 2660563
QSDl% 0755& 2660407

bZ&esy% directorswaraj@sancharnet.in
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख निःशुल्क की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)

अध्याय - 5 (मैनुअल - 4)

10

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

नीति निर्धारण हेतु

स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि की परामर्श/भागीदारी का कोई प्रावधान नहीं है ।

अध्याय - 6 (मैनुअल - 5)

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध
दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण

6.1 लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों की जानकारी देने हेतु
प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

क्र. प्रवर्ग दस्तावेज का नाम एवं
ए क पंfä में परिचय

दस्तावेज प्राप्त करने के
लिये प्रक्रिया

धारक/नियंत्रणाधीन

1. नियम सभागार आरक्षण हेतु
आवेदन

निर्धारित प्रपत्र कार्यालयीन
समय में उपलब्ध

सहायक ग्रंथपाल

2. नियम स्वाधीनता फैलोशिप सादे कागज पर (विज्ञापन
अनुसार)

सहायक संचालक

3. नियम आर्थिक सहायता अनुदान सादे कागज पर (विज्ञापन
अनुसार)

लेखापाल

4. नियम अमर शहीद चंद्रशेखर
आज़ाद सम्मान

सादे कागज पर (विज्ञापन
अनुसार)

कार्यक्रम सहायक

अध्याय - 7 (मैनुअल - 6)

11

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

7.1 स्वराज संस्थान संचालनालय से कोई बोर्ड, परिषद, समिति या अन्य निकाय सम्बद्ध नहीं है।

अध्याय - 8 मैनुअल - 7

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियाँ

लोक सूचना अधिकारी

श्री संजय यादव, सहायक संचालक
फोन: 0755 - 2660563 (का.) 2778155 (नि)
QSDl % 0755 & 2660407
bZ&esy% directorswaraj@sancharnet.in

विभागीय अपीलेट अधिकारी

श्री श्रीराम तिवारी, संचालक
फोन: 0755 - 2660563 (का.) 2660168 (नि.)
QSDl % 0755 & 2660407
bZ&esy% directorswaraj@sancharnet.in

अध्याय - 9 (मैनुअल - 8)

निर्णय लेने की प्रक्रिया

9.1 स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा सामान्य विषयों पर शासकीय नियम/प्रक्रिया अनुसार विभागाध्यक्ष स्तर पर संचालक द्वारा निर्णय लिया जाता है जबकि विशेश विशय/ प्रकरण में निर्णय लेने के लिए प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/ सचिव तथा विभागीय मंत्री की स्वीकृति / अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। ऐसे निर्णय जिनसे आम जनता को अवगत कराया जाना है उन्हें समाचार- पत्रों में विज्ञापन एवं पत्र द्वारा सूचित किया जाता है।
अध्याय - 10 (मैनुअल-9)

vf/kdkfj;ks vkSj deZpkfj;ks dh funsZf'kdk

Ø- l-	uke	inuke	,l- Vh-Mh- dksM	njHkk"k		QSDl	bZesy	irk
				dk;k-	fuokl			
1.	श्री श्रीराम तिवारी	संचालक	0755	2660563	2660168	2660407	directorswaraj @ sancharnet.in	ईएसएन–6, प्रोफेसर कॉलोनी, भोपाल
2.	श्री संजय यादव	सहायक संचालक	0755	2660563	2778155	2660407	directorswaraj @ sancharnet.in	एफ 68 / 12, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल
3.	श्री राजेष कोहली	सहायक लाइब्रेरियन	0755	2660563	2571015	2660407	directorswaraj @ sancharnet.in	एफ–102 / 26 ,षिवाजी नगर, भोपाल
4.	श्री मधुसूदन गारवे	लेखापाल	0755	2660563	2420867	2660407	directorswaraj @ sancharnet.in	जी–2 / 98 / 1100, अरेरा कॉलोनी, भोपाल
5.	श्री प्रदीप अग्रवाल	सहायक कार्यक्रम	0755	2660563	2748705	2660407	directorswaraj @ sancharnet.in	ए–1326, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, करौंद, भोपाल
6.	श्री नलिन शंकर मिश्रा	सहायक ग्रेड–3	0755	2660563	9893099 891	2660407	directorswaraj @ sancharnet.in	118–ए / 36, षिवाजी नगर, भोपाल

13

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

स्वराज संस्थान संचालनालय अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को म.प्र.

शासन द्वारा स्वीकृत नियमित वेतनमान अनुसार वेतन-भत्तों का भुगतान किया जाता
है। पृथक से कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है। जानकारी निम्नानुसार
हैः-

Ø-
सं.

नाम पदनाम वेतनमान पारितोषिक
@
पारितोषिक
भत्ता

वेतन के निर्धारण की
पद्धति जो नियमावली
में दी गयी हो

1. श्री श्रीराम तिवारी संचालक 12000-16500 - मध्यप्रदेश शासन द्वारा
निर्धारित नियमानुसार
2. श्री संजय यादव सहायक संचालक 10000-15700 - मध्यप्रदेश शासन द्वारा
निर्धारित नियमानुसार
3. श्री राजेश कोहली सहायक ग्रंथपाल 5500-9000 - मध्यप्रदेश शासन द्वारा
निर्धारित नियमानुसार
4. श्री मधुसूदन गारवे लेखापाल 4500-7000 - मध्यप्रदेश शासन द्वारा
निर्धारित नियमानुसार
5. श्री प्रदीप अग्रवाल कार्यक्रम सहायक 4500-7000 - मध्यप्रदेश शासन द्वारा
निर्धारित नियमानुसार
6. श्री नलिन शंकर
मिश्रा

सहायक ग्रेड-3 3050-4500 - मध्यप्रदेश शासन द्वारा
निर्धारित नियमानुसार
7. श्री ओमप्रकाश
लिलिया

वाहन चालक 4000-6000 - मध्यप्रदेश शासन द्वारा
निर्धारित नियमानुसार
8. श्री जमुना प्रसाद
पटेल

भृत्य 2610-3540 - मध्यप्रदेश शासन द्वारा
निर्धारित नियमानुसार
9. श्री रामकिशोर कहार भृत्य 2610-3540 - मध्यप्रदेश शासन द्वारा
निर्धारित नियमानुसार
10. श्रीमती कमला मेश्राम भृत्य 2250-3200 - मध्यप्रदेश शासन द्वारा
निर्धारित नियमानुसार

14

अध्याय- 12 (मैनुअल-11)

प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

स्वराज संस्थान संचालनालय को वर्ष 2006-07 में आवंटित बजटः-

Ø-
सं.

मद प्रस्तावित
बजट

स्वीकृत
बजट

श् ाासन द्वारा
प्रदत्त (किश्तों
में)

कुल व्यय

1. स्वराज भवन (राज्य आयोजना) 32.85 32.85 - 31.31

2. शहीद भवन (राज्य आयोजना) 27.98 27.98 - 27.94

3. डॉ. शंकरदयाल शर्मा राज्य
संग्रहालय एवं वाचनालय (राज्य
आयोजना)

17-02 17-02 & 16-98

4. स्वाधीनता संग्राम संबंधी गतिविधियों
का संकलन, दस्तावेजीकरण,
प्रदर्शन (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना) (राज्य आयोजना)

70-00 70-00 & 69-82

5. व्याख्यान, स्मृति समारोह, संगोष्ठी, फैलोशिप एवं दस्तावेजीकरण (राज्य आयोजना)

50-00 50-00 & 49-82

6. व्याख्यान, स्मृति समारोह, संगोष्ठी, फैलोशिप एवं दस्तावेजीकरण
(आयोजनेत्तर)

10-00 9-10 & 9-10

अध्याय- 13 मैनुअल

vu|nku@jkt lgk;rk dk;Øek d fØ;kUo;u dh jhfr

स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा संचालित आर्थिक सहायता/सहायक अनुदान योजना से सम्बन्धित विवरण निम्नानुसार है :–

1- dk;Øe@;kstuk dk uke – आर्थिक सहायता/सहायक अनुदान

2- dk;Øe dk mÌ'; – योजना का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम–स्वराज से सम्बन्धित आयोजनों, सेमिनार, संगोष्ठी, प्रदर्शनी, शताब्दी/जयंती समारोह आदि के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों–शहीदों, महापुरुषों के जीवनकाल से सम्बन्धित प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालना है ताकि हमारी युवा पीढ़ी और जनसामान्य को इन मान विभूतियों के बलिदान से अवगत कराया जाकर उनकी चेतना से अनुप्रमाणित किया जा सके इनकी शहादत का पुनीत स्मरण किया जा सके।

3- dk;Øe d Hkkfrd ,o okf.kfT;d y{; ¼foxr o"k e½ – विगत वर्ष में 97 लाभार्थियों द्वारा योजना का लाभ लिया गया।

4- ykHkkFkh dh ik=rk – (1) यह अनुदान सोसायटी, पंजीकरण अधिनियम/न्यास के अंतर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों/संस्थानों को दिया जायेगा।

(2) स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, साम्प्रदायिक सद्भाव और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रचार तथा प्रसार सम्बन्धी कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जावेगी।

(3) स्वतंत्रता संग्राम में शमिल तथा शहीद हुए सेनानियों की शताब्दी/जयंतियों के आयोजन पर ऐसे अनुदानों के लिए विचार किया जा सकता है जिन्होंने देश की सेवा की है या कि समाजिक सुधारों, आध्यात्मिक मूल्यों संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया हो।

(4) योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रत्येक आवेदन की मेरिट के आधार पर संस्कृति विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा जांच की जायेगी। समिति की अनुशंसा अनुसार ही अनुदान स्वीकृत किया जावेगा। अनुदान स्वीकृति/अस्वीकृति अथवा राशि में वृद्धि के संबंध में शासन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

(5) स्वराज संस्थान इस योजना के इच्छुक संस्था के वित्तीय तथा अन्य पहलुओं के सम्बन्ध में जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ, राज्य सरकार, जिला योजना समिति, कलेक्टर इत्यादि से सलाह लेगा।

(6) किसी एक सुविख्यात व्यक्ति की शताब्दी/जयंती मनाने के लिए दो से अधिक संगठनों को अनुदान नहीं दिया जायेगा, सामान्यतः किसी एक

स्थान (कस्बा–नगर) के लिए एक से अधिक संगठन/संस्था को अनुदान नहीं दिया जावेगा।

(7) राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये वित्तीय आदेशों/निर्देशों का पूरी तरह कठोरता से पालन किया जायेगा।

(8) अनुदान–संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासन के प्रशासकीय अनुमोदन से संचालक, स्वराज संस्थान संचालनालय, भोपाल द्वारा स्वीकृत किया जावेगा।

5- iok i{kk, – कुछ नहीं

6- vunku@lgk;rk ikIr dju dh ifØ;k – अनुदान प्राप्ति के लिए आवेदन–पत्र संचालक, स्वराज संस्थान संचालनालय को निम्नलिखित दस्तावेजों/अभिलेखों के साथ भेजना होगा–

(1) प्रस्तावित कार्यक्रम/आयोजन की रूपरेखा तथा सम्बन्धित स्वतंत्रता सेनानी/महापुरुषों का पूर्ण विवरण जिनका शताब्दी/जयंती समारोह आयोजित किया जाना है तथा आयोजन की तिथि/समयावधि जिसके लिए अनुदान प्राप्त किया जाना है।

(2) प्रस्तावित वित्तीय व्यय का विवरण जिसमें व्यय का मदवार ब्यौरा उल्लेखित हो।

(3) संस्था/संगठन का पिछले तीन वर्षों का आय–व्यय लेखा, वार्षिक रिपोर्ट, आडिटेड विवरण।

(4) संस्था के पंजीकरण प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।

(5) संस्था/संगठन के गठन, उद्देश्य, लक्ष्य से सम्बन्धित बायलॉज की प्रति।

7- ik=rk fuf'pr dju d fy; ekun.M – बिन्दु क्रमांक चार में उल्लेखित अनुसार।

8- fn; tku oky vunku@lgk;rk dk fooj.k ¼ftll vunku dh jkf'k dk fooj.k gk½ – (1) योजना के उपर्युक्त कार्यक्रम के आयोजन के लिए किसी भी स्वैच्छिक संगठन को रुपये 50,000/– (रुपये पचास हज़ार) की सीमा तक राशि का अनुदान दिया जायेगा। अनुदान की राशि कार्यक्रम के कुल व्यय 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। कुल व्यय का शेष 25 प्रतिशत या उससे अधिक संगठन द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा।

(2) कार्यक्रम के आयोजन हेतु प्रकाशित साहित्य, बैनर, ब्रोशर, निमंत्रण इत्यादि में संस्था द्वारा स्वराज संस्थान संचालनालय के सहयोग से आयोजित अवश्य उल्लेखित किया जावेगा।

17

(3) राज्य शासन द्वारा गठित विभिन्न समितियों को शासन के निर्देशानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जावेगी।

9. अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया - बिन्दु क्रमांक छः में उल्लिखित अनुसार

10. आवेदन करने के लिये कहाँ/किससे सम्पर्क करें - संचालक, स्वराज संस्थान संचालनालय, रवीन्द्र भवन परिसर, भोपाल में संपर्क करें।

11. आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएँ कि आवेदनकर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे) - सादे कागज पर

12. उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि) - 19.00 लाख वर्ष 2006-07

13. लाभार्थियों की सूची (निम्न प्रारूप पर) - कुल 49 लाभार्थियों को वर्ष 2006-07 में अनुदान स्वीकृत किया गया है।

अध्याय - 14 (मैनुअल-13)

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्रधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण

निरंक

अध्याय- 15 (मैनुअल-14)

dR;k d fuoZgu d fy, LFkkfir ekud@fu;e

<u>Lojkt lLFkku lpkyuky; }kjk lpkfyr vkfFkd lgk;rk@lgk;d vunku ;ktuk l lEcfU/kr fu;e fuEukuqlkj g</u> %&

क्र. एफ. 4–3–2004–तीस–04–राज्य शासन, एतद्द्वारा, स्वराज संस्थान संचालनालय अंतर्गत "स्वतंत्रता संग्राम–स्वराज पर केन्द्रित विभिन्न आयोजनों तथा महापुरुषों की शताब्दी/जयंती समारोह के आयोजन के लिये वित्तीय सहायता/अनुदान योजना" के लिये निम्नलिखित नियम बनाता हैः–

<u>**नियम**</u>

1. <u>**योजना का नाम**</u>– यह योजना "स्वतंत्रता संग्राम–स्वराज पर केन्द्रित विभिन्न आयोजनों तथा महापुरुषों की शताब्दी/जयन्ती आयोजन के लिए वित्तीय सहायता/अनुदान योजना" के नाम से जानी जायेगी।

2. <u>**उद्देश्य**</u>– योजना का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम–स्वराज से सम्बन्धित आयोजनों, सेमिनार, संगोष्ठी, प्रदर्शनी, शताब्दी/जयंती समारोह आदि के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों–शहीदों, महापुरुषों के जीवनकाल से सम्बन्धित प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालना है ताकि हमारी युवा पीढ़ी और जनसामान्य को इन मान विभूतियों के बलिदान से अवगत कराया जाकर उनकी चेतना से अनुप्रमाणित किया जा सके इनकी शहादत का पुनीत स्मरण किया जा सके।

3. <u>**क्षेत्र**</u>– योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मध्यप्रदेश में सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक इत्यादि क्षेत्र में कार्य के लिए पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों/निकायों तथा राज्य शासन द्वारा गठित समितियों को वित्तीय सहायता/अनुदान प्रदान किया जावेगा।

4. <u>**सहायता का स्वरूप**</u>– (1) योजना के उपर्युक्त कार्यक्रम के आयोजन के लिए किसी भी स्वैच्छिक संगठन को रुपये 50,000/– (रुपये पचास हज़ार) की सीमा तक राशि का अनुदान दिया जायेगा। अनुदान की राशि कार्यक्रम के कुल व्यय 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। कुल व्यय का शेष 25 प्रतिशत या उससे अधिक संगठन द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा।

   (2) कार्यक्रम के आयोजन हेतु प्रकाशित साहित्य, बैनर, ब्रोशर, निमंत्रण इत्यादि में संस्था द्वारा स्वराज संस्थान संचालनालय के सहयोग से आयोजित अवश्य उल्लेखित किया जावेगा।

(3) राज्य शासन द्वारा गठित विभिन्न समितियों को शासन के निर्देशानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जावेगी।

5. **<u>पात्रता–मापदंड</u>**– (1) यह अनुदान सोसायटी, पंजीकरण अधिनियम/न्यास के अंतर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक <u>संगठनों/संस्थानों</u> को दिया जायेगा।

(2) स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, साम्प्रदायिक सद्भाव और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रचार तथा प्रसार सम्बन्धी कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जावेगी।

(3) स्वतंत्रता संग्राम में शमिल तथा शहीद हुए सेनानियों की शताब्दी/जयंतियों के आयोजन पर ऐसे अनुदानों के लिए विचार किया जा सकता है जिन्होंने देश की सेवा की है या कि समाजिक सुधारों, आध्यात्मिक मूल्यों संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया हो।

(4) योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रत्येक आवेदन की मेरिट के आधार पर संस्कृति विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा जांच की जायेगी। समिति की अनुशंसा अनुसार ही अनुदान स्वीकृत किया जावेगा। अनुदान स्वीकृति/अस्वीकृति अथवा राशि में वृद्धि के संबंध में शासन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

(5) स्वराज संस्थान इस योजना के इच्छुक संस्था के वित्तीय तथा अन्य पहलुओं के सम्बन्ध में जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ, राज्य सरकार, जिला योजना समिति, कलेक्टर इत्यादि से सलाह लेगा।

(6) किसी एक सुविख्यात व्यक्ति की शताब्दी/जयंती मनाने के लिए दो से अधिक संगठनों को अनुदान नहीं दिया जायेगा, सामान्यतः किसी एक स्थान (कस्बा–नगर) के लिए एक से अधिक संगठन/संस्था को अनुदान नहीं दिया जावेगा।

(7) राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये वित्तीय आदेशों/निर्देशों का पूरी तरह कठोरता से पालन किया जायेगा।

(8) अनुदान–संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासन के प्रशासकीय अनुमोदन से संचालक, स्वराज संस्थान संचालनालय, भोपाल द्वारा स्वीकृत किया जावेगा।

6. **<u>आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया</u>**– अनुदान प्राप्ति के लिए आवेदन–पत्र संचालक, स्वराज संस्थान संचालनालय को निम्नलिखित दस्तावेजों/अभिलेखों के साथ भेजना होगा–

(1) प्रस्तावित कार्यक्रम/आयोजन की रूपरेखा तथा सम्बन्धित स्वतंत्रता सेनानी/महापुरुषों का पूर्ण विवरण जिनका शताब्दी/जयंती समारोह आयोजित किया जाना है तथा आयोजन की तिथि/समयावधि जिसके लिए अनुदान प्राप्त किया जाना है।

(2) प्रस्तावित वित्तीय व्यय का विवरण जिसमें व्यय का मदवार ब्यौरा उल्लेखित हो।

(3) संस्था/संगठन का पिछले तीन वर्षों का आय–व्यय लेखा, वार्षिक रिपोर्ट, आडिटेड विवरण।

(4) संस्था के पंजीकरण प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।

(5) संस्था/संगठन के गठन, उद्देश्य, लक्ष्य से सम्बन्धित बायलॉज की प्रति।

7- bu fu;eksa esa fdlh fu;e dks f'kfFky djus dk vf/kdkj 'kklu dks gksxkA

Lojkt laLFkku lapkyuky; }kjk lapkfyr lHkkxkj vkj{k.k ls lEcfU/kr fu;e fuEukuqlkj gS %&

क्र. 1478–2571–सं.–तीस–02– राज्य शासन, एतद्द्वारा, स्वराज संस्थान संचालनालय अंतर्गत स्वराज भवन सभागार उपयोग के लिये निम्नलिखित नियम बनाता है:–

fu;e

1. आरक्षण शुल्क एवं प्रतिभूति विविध शुल्क की राशि जमा करने के पश्चात् ही आरक्षण मान्य होगा, आरक्षण के लिए कम से कम 10 दिन पूर्व संलग्न प्रपत्र में आवेदन करना अनिवार्य होगा।
2. सभागार आरक्षण के लिए निम्नानुसार शुल्क देय होगा:–
    1. वातानुकूलन सहित छह घंटे के लिए रुपये 1500/– प्रति दिवस
    2. वातानुकूलन सहित छह घंटे से अधिक के लिए रुपये 3000/– प्रति दिवस
    3. वातानुकूलन रहित छह घंटे के लिए रुपये 500/– प्रति दिवस
    4. वातानुकूलन रहित छह घंटे से अधिक के लिए रुपये 1000/– प्रति दिवस
    5. संस्कृति विभाग की संस्थाओं के लिए रुपये 250/– प्रति दिवस
    6. संचालनालय के उद्देश्यों के पूर्णतः अन्तर्गत तथा सहभागिता से आयोजित कार्यक्रमों के लिए निःशुल्क (शासन की पूर्व अनुमति से)
3. उपर्युक्त सभी वर्गों के लिए आरक्षण के समय प्रतिभूति राशि रुपये 1000/– कार्यालय में जमा करायी जाना आवश्यक होगी। जो कि आयोजन के पश्चात् वापसी योग्य होगी।
4. सभागार जिस स्थिति में सौंपा जायेगा उसी स्थिति में वापस सौंपना होगा।

5. सभागार/परिसर में आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की टूट–फूट एवं अस्वच्छता की पूर्ण जिम्मेदारी आयोजक की होगी। किसी भी प्रकार के नुकसान/अस्वच्छता की भरपाई जमा सुरक्षा राशि से की जायेगी।
6. सभागार में पेय अथवा खाद्य पदार्थ नहीं दिया जायेगा। धूम्रपान एवं मानक पेय सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित है।
7. सभागार में टेन्ट, ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था आयोजकों द्वारा स्वयं की जाना होगी।
8. अतिरिक्त विद्युत एवं ध्वनि व्यवस्था के लिए निर्धारित पाइन्ट्स से ही कनेक्शन लिया जाना अनिवार्य है। डायरेक्ट विद्युत लाईन लेना एवं दीवारों पर कील इत्यादि ठोकना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
9. सभागार रात्रि 9.00 बजे तक ही उपलब्ध हो सकेगा।
10. सभागार में टिकिट से होने वाले कार्यक्रम प्रतिबंधित हैं।
11. संचालनालय के अनुमोदन उपरांत ही प्रचार सामग्री यथा निर्दिष्ट स्थान पर लगायी जावेगी।
12. स्वराज संस्थान संचालनालय के सहयोग से आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम की प्रचार सामग्री (विज्ञापन, बैनर, पैम्पलेट, पोस्टर, प्रेस समाचार आदि) एवं निमंत्रण पत्र में **"सहयोग स्वराज भवन"** का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य होगा। साथ ही निमंत्रण पत्र/प्रचार सामग्री की पाँच प्रतियाँ कार्यालय सन्दर्भ के लिए उपलब्ध कराना आवश्यक होगी।
13. कार्यक्रम के दौरान किसी भी तकनीकी खराबी से ए.सी. संयंत्र एवं विद्युत में खराबी उत्पन्न होने की स्थिति में आयोजक को स्वयं वैकल्पिक व्यवस्था करना होगी।
14. सभागार उपलब्ध कराये जाने अथवा न कराये जाने तथा विशेष परिस्थितियों में आवंटन रद्द करने का पूर्ण अधिकार संचालक, स्वराज संस्थान को होगा।
15. स्वराज भवन परिसर बिना शासन को अनुमति से किसी भी संस्था/व्यक्ति को किसी भी प्रयोजनार्थ उपलब्ध नहीं कराया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रति,

संचालक,
स्वराज संस्थान संचालनालय,
भोपाल

विषयः— **स्वराज भवन सभागार उपलब्ध कराये जाने बाबत्।**

महोदय,

हमें दिनांक .... को समय .... से .... तक सभागार की आवश्यकता है।

1. संस्था का नाम ....
2. संस्थान का पूरा पता ....
3. संस्था का पंजीयन क्रमांक ....
4. संपर्क के लिए फोन नंबर ....कार्यालय
....निवास
5. कार्यक्रम का समय ....
6. कार्यक्रम का विवरण ....

अभिकथन

सभागार आवंटन के लिए निर्धारित शर्तें हमें मान्य हैं। कार्यक्रम अवधि में किसी भी प्रकार के नुकसान/अस्वच्छता या टूट—फूट का हर्जाना भरने के लिए तैयार हूँ।

(हस्ताक्षर)
पूरा नाम : ....
पता : ....
फोन : ....

(कार्यालयीन उपयोग के लिए)

सभागार आवंटित किया जाये/आवेदन अस्वीकृत।

संचालक
स्वराज संस्थान संचालनालय

Lojkt lLFkku lapkyuky; }kjk lapkfyr Lok/khurk Qsykf'ki ls lEcfU/kr fu;e fuEukuqlkj gS%&

क्र. एफ 4–7–2004–तीस–सं.– राज्य शासन, एतद्द्वारा, स्वराज संस्थान संचालनालय अंतर्गत "स्वाधीनता फैलोशिप" के लिये निम्नलिखित नियम बनाता हैः–

नियम

स्वाधीनता फैलोशिप

1. **योजना का नाम**– यह योजना "स्वाधीनता फैलोशिप" के नाम से जानी जायेगी।

2. **उद्देश्य**– स्वाधीनता फैलोशिप की स्थापना का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के विविध पक्षों, घटनाओं, व्यक्तियों और प्रवृत्तियों पर शोध कार्य करना है।

3. **संख्या**– प्रतिवर्ष अधिकतम तीन फैलोशिप प्रदान की जायेगी जिनमें से दो आदिवासी क्षेत्र में शोध कार्य के लिए रक्षित रहेंगी।

4. **फैलोशिप की राशि**– फैलोशिप की राशि प्रति अध्येता रुपये 1,00,000/– (रुपये एक लाख मात्र) होगी जिसमें अध्येता का पारिश्रमिक, शोध कार्य के लिए की जाने वाली यात्राएँ, कम्पोजिंग कार्य, स्टेशनरी एवं समस्त व्यय समाहित होंगे।

5. **अवधि**– फैलोशिप की अवधि छह माह के लिए होगी। निश्चित समयावधि में ही शोध कार्य किया जाना होगा।

6. **पात्रता**–
   - (क) फैलोशिप 35 वर्ष से अधिक आयु के अध्येताओं को प्रदान की जावेगी। आयु की गणना संबंधित वर्ष में 1 अप्रैल की स्थिति अनुसार की जावेगी।
   - (ख) फैलोशिप स्वाधीनता संग्राम/राजनीति/समाजशास्त्र/आर्थिकी/साहित्य से संबंधित क्षेत्रम ें विशेष उपलब्धि अर्जित करने अथवा विशेषाकृत अनुसंधान का अनुभव रखने वाले आवेदक को दी जायेगी।

7. **अन्य शर्तें**– (क) आवेदक मध्यप्रदेश का निवासी हो।
   - (ख) आवेदक को फैलोशिप के दौरान किये जाने वाले शोध कार्य का एक स्पष्ट प्रोजेक्ट देना होगा जो कि छः माह की अवधि में निश्चित रूप से पूरा हो सके। विशेष प्रकरण में समयावधि बढ़ाने का अधिकार संचालक, स्वराज संस्थान संचालनालय को होगा।

(ग) आदिवासी क्षेत्र अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली फैलोशिप में आदिवासी क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम के विविध पक्षों, घटनाओं, व्यक्तियों और प्रवृत्तियों पर शोध कार्य किया जाना होगा।

(घ) फैलो को अपने कार्य की प्रगति प्रतिवेदन प्रतिमाह स्वराज संस्थान संचालनालय को प्रेषित करना होगा।

(ड़) फैलोशिप के संदर्भ में किये गये शोध कार्य का प्राथमिक मूल्यांकन फैलोशिप स्वीकृत करने के दो माह बाद किया जायेगा। यदि फैलो के कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है तो उक्त फैलोशिप वापस लिये जाने का अधिकार स्वराज संस्थान संचालनालय का निर्णय अंतिम और मान्य होगा, मूल्यांकन आधार पर फैलोशिप की प्रथम किश्त रुपये 30,000/– तीसरे माह जारी की जावेगी। पाँचवे माह में कार्य प्रगति के आधार पर द्वितीय किश्त रुपये 40,000/– तथा शोध कार्य पूर्ण कर सौंपने पर छह माह पश्चात् अंतिम किश्त रुपये 30,000/– जारी की जायेगी।

(च) फैलोशिप के दौरान किये गये शोध कार्य का प्रकाशन और प्रदर्शन का अधिकार स्वराज संस्थान संचालनालय को होगा।

8. **चयन प्रक्रिया**–

(क) फैलोशिप प्रदान किये जाने के आवदेन–पत्र सीधे स्वतंत्रता सेनानियों/लेखकों/कलाकारों/साहित्यकारों/सृजनकर्मियों से/विज्ञापन/पत्र के माध्यम से आमंत्रित किये जावेंगे। इसके अलावा प्रदेश की प्रतिष्ठित संस्थाओं, विश्वविद्यालयों आदि से भी उपयुक्त नामों की सिफारिशें बुलवाई जा सकेंगी।

(ख) स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग के अनुमोदन से एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जायेगा जिसमें विभिन्न विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे, उपयुक्त प्रस्तावों के अभाव में फैलोशिप न देने का निर्णय भी समिति ले सकेगी।

(ग) समिति की अनुशंसा के आधार पर स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा फैलोशिप प्रदान करने का निर्णय लिया जायेगा। यह निर्णय अंतिम और मान्य होगा।

9- lforj.k vf/kdkjh& स्वाधीनता फैलोशिप **संचालक, स्वराज संस्थान संचालनालय, रवीन्द्र भवन परिसर, भोपाल** द्वारा वितरित की जावेगी।

<u>Lojkt lLFkku lpkyuky; }kjk lpkfyr vej ‘kghn pna’k[kj vktkn jk"Vh; lEeku ls lEcfU/kr fu;e fuEukuqlkj gS%&</u>

क्रमांक एफ 9–4–सं.–तीस–06 राज्य शासन, एतद् द्वारा, स्वराज संस्थान संचालनालय के अंतर्गत "अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद राष्ट्रीय सम्मान" स्थापित कर सम्मान प्रदान करने के लिए निम्नलिखित नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित करता हैः–

1. **<u>सम्मान का नाम</u>**

   यह सम्मान "अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद राष्ट्रीय सम्मान" के नाम से जाना जावेगा।

2. **<u>उद्देश्य</u>**

   स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों, राष्ट्रभक्ति और समाजसेवा की पावनता एवं गौरव को पुर्नप्रतिष्ठित करने तथा इस क्षेत्र में समग्र रचनात्मक अवदान, सृजनात्मकता एवं विशिष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से यह सम्मान स्थापित किया गया है।

3. **<u>संख्या</u>**

   यह सम्मान प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। यह "एकल" सम्मान होगा अर्थात यह सम्मान संयुक्त रूप से नहीं दिया जाएगा।

4. **<u>सम्मान की राशि</u>**

   इस सम्मान के अंतर्गत पुरस्कार के रूप में 1.50 लाख (एक लाख पचास हज़ार) की राशि के साथ प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान पट्टिका प्रदान की जाएगी।

5. **<u>पात्रता</u>**

   यह सम्मान स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों, राष्ट्रभक्ति और समाजसेवा के क्षेत्र में समग्र रचनात्मक अवदान, सृजनात्मकता एवं विशिष्ट उपलब्धियां अर्जित करने वाले साधनारत मनीषी/संस्था को दिया जाएगा।

6. **<u>अन्य शर्तें</u>**

   सम्मान के लिए प्रतिष्टियां आमंत्रित करने के लिये प्रतिवर्ष प्रमुख राष्ट्रीय/प्रादेशिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। साथ ही राष्ट्रभक्ति एवं समाजसेवा के आदर्शों के अनुसार कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, स्वतंत्रता सेनानियों, समाज शास्त्रियों, बुद्धिजीवियों, लेखकों, समीक्षकों, पत्रकारों तथा प्रदेश के/राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं इतिहास तथा स्वाधीनता संग्राम के क्षेत्र में सक्रिय शोध संस्थानों से भी सम्मान हेतु अनुशंसा/नामांकन आमंत्रित किए जाएंगे।

7. <u>चयन प्रक्रिया</u>

- सम्मान के चयन के लिये प्रतिवर्ष उच्च स्तरीय निर्णायक मण्डल का गठन स्वराज संस्थान संचालनालय के प्रस्ताव पर म.प्र. शासन संस्कृति विभाग द्वारा किया जावेगा। निर्णायक मण्डल में देश–प्रदेश के प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानियों, समाज शास्त्रियों, बुद्धिजीवियों, लेखकों, पत्रकारों एवं विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जायेगा। सदस्यों को आमंत्रण तथा बैठक के संयोजन की कार्यवाही संचालक, स्वराज संस्थान द्वारा की जावेगी।
- सम्मान के चयन का मापदंड संबंधित क्षेत्र में उच्च कोटि की सृजनात्मकता, विशिष्ट उपलब्धि, अनवरत साधना तथा असंदिग्ध और निरपवाद योगदान रहेगा। चयन के समय, अनुशंसित व्यक्ति/संस्था का सृजनात्मक रूप से सक्रिय होना अनिवार्य है। सम्मान हेतु अनुशंसित प्रविष्टि के समग्र रचनात्मक अवदान पर विचार किया जावेगा।
- निर्णायक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत प्रविष्टियाँ/अनुशंसाओं के अतिरिक्त निर्णायक मण्डल स्वविवेक से अन्य नामों पर विचार करने हेतु स्वतंत्र होगा।
- यदि निर्णायक मण्डल सम्मान के लिए किसी भी व्यक्ति/संस्था को उपयुक्त नहीं पाता है तो उस वर्ष यह सम्मान किसी अन्य को नहीं दिया जा सकेगा।
- इस सम्मान में एक बार पुरस्कृत व्यक्ति/संस्था को पुनः यह सम्मान प्रदान नहीं किया जा सकेगा।
- निर्णायक मण्डल सर्वसम्मति से निर्णय लेकर अपनी अनुशंसा राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा। निर्णायक मण्डल का निर्णय शासन के लिए बंधनकारी होगा। निर्णायक मण्डल द्वारा अनुशंसित व्यक्ति/संस्था से सम्मान ग्रहण करने के लिए स्वीकृति प्राप्त की जावेगी।
- निर्णायक मण्डल की अनुशंसा पर शासन की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही यह सम्मान घोषित किया जावेगा। घोषणा के पूर्व सभी कार्यवाही गोपनीय रहेगी।
- सम्मान घोषित हो जाने के बाद, सम्मानित व्यक्ति/संस्था द्वारा इसे स्वीकार न किए जाने पर उस वर्ष किसी अन्य को यह सम्मान नहीं दिया जा सकेगा।
- विशिष्ट परिस्थितियों में यदि निर्णायक मण्डल सर्वसम्मति से निर्णय लेने में असमर्थ रहता है और एक से अधिक अनुशंसायें प्रस्तुत करता है तो ऐसी स्थिति में शासन को निर्णायक मण्डल की अनुशंसा अस्वीकार करने का अधिकार होगा और यह चयन प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ की जा सकेगी।

8. <u>संवितरण अधिकारी</u>

यह सम्मान प्रतिवर्ष संचालक, स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा वितरित किया जायेगा।

v/;k; & 16 ¼eSuqvy&15½

byDVªkfud :i esa miyC/k lwpuk,¡

संचालनालय की वेबसाइट संषोधनाधीन है।

v/;k; & 17 ¼eSuqvy&16½

lwpuk izkIr djus ds fy, ukxfjdksa dks miyC/k lqfo/kkvksa dk fooj.k

स्वाधीनता संघर्ष से लेकर स्वराज तक की बहुविध गतिविधियों को आम जनता तक पहुॅचाने के लिए समय&समय पर कार्यक्रमों, संगोष्ठी, प्रदर्षनी, वर्कषॉप, सेमिनार–सम्मेलन, व्याख्यान, नाट्य समारोह, प्रतियोगिता, का आयोजन किया जाता है। साथ ही पुस्तक प्रकाषन, फिल्मों, वृत्तचित्रों, समाचार–पत्रों तथा सूचना–पटल के माध्यम से भी अवगत कराया जाता है।

v/;k; & 18 ¼eSuqvy&17½

vU; mi;ksxh tkudkfj;k¡

स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा स्वराज भवन सभागार आरक्षण के सम्बन्ध में निर्धारित आवेदन–पत्र एवं षुल्क आदि का विवरण मैनुअल में उल्लेखित किया गया है। सभागार की उपलब्धता की सूचना उपलब्ध नहीं होने पर संचालक, स्वराज संस्थान संचालनालय को अपील की जा सकती है।